6

बिहार सरकार
वित्त विभाग ।

संकल्प

पटना, दिनांक- जनवरी, 2008

विषयः- राज्य सरकार के सेवीवर्ग की सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत उनके द्वारा लिये गये गृह निर्माण अग्रिम पर देय ब्याज की राशि की माफी हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-420 वि0(अ0) दिनांक 21.01.2000 की कंडिका-8 (vi) को संशोधित करने के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-420 दिनांक 21.01.2000 द्वारा गृह निर्माण अग्रिम की अधिसीमा का उत्क्रमण एवं शर्त्तों का निरूपण किया गया था । उक्त संकल्प की कंडिका-8 **(vi)** में यह प्रावधानित है कि "यदि किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है एवं मूलधन के किसी भाग का समायोजन उसके मृत्यु-सह-उपादान से होता है तो सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि के बाद ब्याज देय नहीं होगा ।" उक्त प्रावधान से ऐसे सरकारी सेवक आच्छादित नहीं हैं जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गयी है तथा उन्होंने अपने गृह निर्माण अग्रिम के मूलधन का पूरा भाग चुका दिया है किन्तु ब्याज का भुगतान पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बाकी है । उक्त प्रावधान के अनुसार यदि किसी ने मूलधन वापस नहीं किया है तो उसका ब्याज माफ हो जाएगा, जबकि किसी ने मूलधन पूर्ण रूप से वापिस कर दिया है तो ब्याज नहीं माफ होगा ।

2. उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या-420 वि0(अ0) दिनांक 21.01.2000 की कंडिका-8 **(vi)** में किये गये उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर निम्न रूपेण प्रावधान को प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

'यदि सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है एवं उनके द्वारा लिए गए गृह निर्माण अग्रिम के ब्याज का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भुगतान नहीं हुआ हो तो सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि के बाद ब्याज की अवशेष राशि देय नहीं होगी और इसकी वसूली नहीं की जाएगी ।'

3. संकल्प सं0-420 वि0(अ0) दिनांक 21.01.2000 की अन्य शर्त्तें यथावत रहेंगी ।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधरण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय) ।

ज्ञापांक- प्र010ए0/अग्रिम(वि0)-01/2008/ /वि0 (अ0) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय) ।

ज्ञापांक- प्र010ए0/अग्रिम(वि0)-05/2005 /वि0 (अ0) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय) ।

ज्ञापांक- प्र010ए0/अग्रिम(वि0)-05/2005 170 /वि0 (अ0) पटना, दिनांक- 5/2/2008

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ राज्यपाल के सचिव/ सचिव, बिहार विधान सभा/ परिषद, पटना/ सभी समाहर्त्ता/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ उप सचिव, वित्त विभाग (स्थापना) तथा वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों को (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय) ।
04.02.08

9

पत्र सं0-प्र01090/गृ0नि0अ0(विविध)-890/98/ 762 /वि0(अ0)

बिहार सरकार

वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक- 23/5/2007

प्रेषक,

अरूनीश चावला,
अपर वित्त आयुक्त (संसाधन) ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषयः- वित्तीय वर्ष 1998-99 के पूर्व स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम पर सूद की गणना के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक-1558 दिनांक 05.04.2006 के प्रसंग में अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक-1088 दिनांक 12.07.2006 के द्वारा सूचित किया गया था कि दिनांक 05.05.1998 के पूर्व सभी अग्रिमों की राशि को मिलाकर ही सूद की गणना करनी चाहिए । इस विषय पर बिहार वित्तीय नियमावली में निहित गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृति विषयक नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अध्यन करने से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के सेवकों को एक से अधिक गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने की व्यवस्था बराबर रही है और प्रत्येक अग्रिम को अलग अग्रिम माना गया है ।

परिपत्र संख्या-420, दिनांक 21.01.2000 के नियम-9(च) में स्पष्ट उल्लेख है कि पुराने अग्रिम राशि पर पुरानी व्याज दर और नई अग्रिम राशि पर नई दर लागू होगी । यह भी स्पष्ट किया गया है कि नये अग्रिम पर लगाई जाने वाली व्याज की दर निर्धारित करने के लिए पुराने और नये अग्रिमों को जोड़ा जायेगा और इस प्रकार प्राप्त राशि जिस स्लैब में आयेगी उस स्लैब के लिए निर्धारित सूद की दर नये अग्रिम पर लागू की जाएगी । इन नियम का यह अर्थ कदापि नहीं है कि सूद की गणना पुराने और नये अग्रिमों को जोड़कर की जाएगी । यह भी स्मरण रखने योग्य है कि एक से अधिक अग्रिम स्वीकृति की अवस्था में प्रत्येक अग्रिम अलग-अलग समय में स्वीकृत किया गया होता है । फलतः उनकी वसूली भी अलग-अलग समय पर प्रारंभ होती है और अलग-अलग समय पर पूर्ण होती है । चूंकि व्याज की गणना मासिक ह्रासमान अवशेष (monthly reducing balance) के आधार पर की जाती है, अतः विभिन्न अग्रिमों की राशि को मिलाकर सूद की गणना करना संभव भी नहीं है ।

उर्पयुक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी सेवक को स्वीकृत प्रत्येक अग्रिम को अलग समझा जाय और प्रत्येक अग्रिम के लिए सूद की गणना भी अलग-अलग की जाए ।

विश्वासभाजन,

23/5/07

(अरूनीश चावला)
अपर वित्त आयुक्त (संसाधन) ।

बिहार गजट

16 कार्तिक 1928(श0)
(सं0 पटना 877) पटना मंगलवार, 7 नवम्बर 2006

सं0 अग्रिम/विविध –11/2002–1557–वि0(अ0)
वित्त विभाग

संकल्प
25 अक्टूबर 2006

विषयः– राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों की भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण।

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 ए 2–10–45/87–599 वि0 (2), दिनांक 2 फरवरी 1988 की कंडिका2 में निहित निर्णयानुसार सरकारी सेवकों को बिहार वित्तीय नियमावली के अधीन 2,00000(दोलाख) रूपये तक स्वीकृत होने वाले ऋणों एवं अग्रिम के भुगतान हेतु महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है । यह निर्णय 1988 में उस समय निर्धारित अग्रिम की अधिकतम राशि के आलोक में लिया गया था । इसके बाद मूल्य वृद्धि को देखते हुए अग्रिम की अधिकतम सीमा 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रूपये)है ।परन्तु 2 लाख रूपये से अधिक राशि की अग्रिम निकासी पर पूर्ववत महालेखकार के प्राधिकार पत्र की अपेक्षा होती है ।

2. अतएव राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित शतों के अधीन यह निर्णय लिया गया है कि 5 लाख रूपये तक स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम की राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी :–

(i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत ऋण एवं प्रत्येक माह कटौती की जानेवाली राशि तथा किस्तों की संख्या वेतन विपत्र पंजी में अंकित कर देंगे ।

(ii) जिन कर्मी को ऋण स्वीकृत किया गया है वे ऋण की वसूली के उपरांत सूद की गणना के लिये कार्यालय प्रधान को सूचित करेंगें औार तीन माह का वेतन छोड़ने के उपरांत चौथे माह से वेतन निकासी तभी करेंगे जबकि सूद की राशि की किस्त की कटौती शुरू हो जाय ।

महालेखाकार कार्यालय के वेतन पुर्जा के आधार पर जिन पदाधिकारियों के वेतन की निकासी की जाती है उनके संदर्भ में कोषागार पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण की वसूली के उपरांत तीन माह का वेतन निकासी के उपरांत चौथे माह से तभी वेतन की निकासी करेंगें जबकि सूद की किस्त की कटौती शुरू हो जाय ।

महालेखाकार कार्यालय के वेतन पुर्जा के आधार पर जिन पदाधिकारियों के वेतन की निकासी की जाती है उनके संदर्भ में कोषागार पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण की वसूली के उपरांत तीन माह की वेतन निकासी के उपरांत चौथे माह से तभी वेतन की निकासी करेंगे जबकि सुद की किस्त की कटौती शुरू हेा जाय ।

(iii) स्वीकृत अग्रिम की प्रविष्टि संबधित कर्मी के सेवापुस्त में कर दी जाय ओर मूलधन एवं सूद भुगतान के पश्चात इसकी प्रविष्टि भी सेवापुस्त में की जाय।

(iv) सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक विवरणी तैयार करेंगे कि किस व्यक्ति से कितनी राशि की कटौती कर ली गयी है और कितनी राशि बकाया है । तत्पश्चात नियंत्री पदाधिकारी /विभागाध्यक्ष को उक्त सुचना उपलब्ध करायेंगे ।

3. वित्त विभागीय आदेय सं0 599वि0 (2), दिनांक–2 फरवरी 1988 को इस हद तक संशोधित किया जाता है । शेष शर्तें एवं बंधेज यथावत रहेंगे ।

4. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार, राज्यपाल के आदेश से ;

शशि शेखर शर्मा,
अपर वित्त आयुक्त (संसाधन) ।

पत्र सं0- प्र010ए0/गृ0नि0अ0(विविध)-05/2005/ 887 /वि0(अ0)

बिहार सरकार,

वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक- 26/5/2006

प्रेषक,

के0 एम0 शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष ।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- गृह निर्माण अग्रिम वृहद्दीकरण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के संकल्प सं0-420 वि0(अ) दिनांक 21.1.2000 में यह प्रावधान है कि किसी मौजूद मकान में रहने के स्थान को बढ़ाने के लिए अग्रिम दी जायेगी ।

राज्य सरकार द्वारा गृह निर्माण अग्रिम वृहद्दीकरण हेतु निम्नांकित निर्णय लिया गया है :-

(क) गृह निर्माण अग्रिम की अंतिम किस्त निर्गत होने की तिथि से 3 वर्षों के बाद ही सरकारी सेवक को गृह निर्माण अग्रिम वृहद्दीकरण देय होगा ।

(ख) गृह निर्माण अग्रिम वृहद्दीकरण के लिए आवेदन देते समय आवेदक को यह शपथ पत्र देना होगा कि पूर्व में लिए गये अग्रिम से मकान निर्माण का कार्य पूरा किया गया है तथा शपथ पत्र में यह भी उल्लेख करना होगा कि किन कारणों से मौजूदा मकान में रहने के स्थान को बढ़ाने की आवश्यकता हुई है ।

विश्वासभाजन,

(के0 एम0 शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।